

23-9-24
पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश ही। 30-9-24




30-9-24
पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक... 9-10-24
को पेश हो।

रीडर

21-10-24

पत्रावली देकर डी. वकुलार उपाधि-मंत्र
वाले जबाब/सिद्धि वाले पत्रावली
दिनांक 28-10-24 को पेश है।


उपस्थंड अधिकारी
अलवर

28-10-24

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश ही। 26-11-24



26/11/24

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक... 13/11/25
को पेश हो।

रीडर

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश ही।

पेश

फरद अहकाम

[नियम 26]

मालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

..... बनावत जगराम

मुकदमा नं० १/५९ सन् २०२५

दीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p><u>१२-१२-२५</u></p> <p>पतावती एवं निर्धारित दिनांक से एवं वकील वकील वकील के ज्ञापन पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से आज के दिनांक वकील वकील ने ज्ञापन में अंकित किया कि पदाकाशन का आवसी एतद पर राखीनामा हो गया है बाद को आगे बढी-रलना पाहते है इसी एतद पर वाद विद्रा करवा पाहते है।</p> <p>वकील वकील वकील को सुना गया कौसी मयन करके के बाद ज्ञापन एबीकार किमर जाता है। वाद-वकील इसी एतद में मोट एतद के खारिज किमर जाता है। पतावती नकल से कम हो बाद तकमीन पतावती दायित्व एतद होवे।</p>	

उपखण्ड/अधिकारी
अलवर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)